

**WORLD WIDE JOURNAL OF
MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND
DEVELOPMENT**

WWJMRD 2017; 3(8): 359-361
www.wwjmr.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
UGC Approved Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
E-ISSN: 2454-6615

मुकेश कुमार
राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर,
भारत

राजस्थान सहित आपदा प्रबंधन में भारत के बढ़ते कदम: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

मुकेश कुमार

शोध सांराश—

प्रकृति में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है वह दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। पिछले 30 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के अनेक दौर देखने को मिले। वैश्विक गर्माहट के कारण मौसम में भयंकर बदलाव दिखाई दे रहे हैं। बाढ़, सुखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, सूनामी, समुन्द्री तुफान, जैसी भयंकर आपदाएँ आज आम हो चली हैं। वास्तव में इन सबके पीछे परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप में मानव स्वयं जिम्मेदार है। प्रकृति के साथ मनुष्य ने अन्तर अनुशासनात्मक संबंध बनाने के बजाय शोषणकारी, दोहनकारी संबंध स्थापित किये जिसका परिणाम आज हम विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर आपदाएँ दो तरह की होती हैं जैसे— (1) प्राकृतिक आपदाएँ (2) मानव जनित आपदाएँ। इन दोनों ही प्रकार की आपदाओं से जन-धन की अपार क्षति होती है। प्राकृतिक आपदाएँ— परिवर्तन प्रकृति की सतत् प्रक्रिया है ऐसे परिवर्तन जिनका प्रभाव मानव के हित में होता है जिन्हें प्रकृति का वरदान कहा जाता है। लेकिन जब परिवर्तनों का प्रभाव मानव समाज का अहित करना है तो इसे प्राकृतिक आपदाएँ कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा प्रकृति में कुछ ही समय में घट जाने वाली घटना है। ऐसी घटनाओं के घट जाने के बाद मानव समाज को जिन समस्थाओं का सामना करना पड़ता है वे समस्याएं संकट मानी जाती हैं। मानव जनित आपदाओं में भाग अत्यन्त विनाशकारी आपदा के रूप में प्रति वर्ष लाखों व्यक्तियों की जान लील ले लेती है। शहरों में विद्युत उपकरणों के संबंध में बरती जाने वाली असावधानियों जिम्मेदार है। ग्रामीण क्षेत्र में जलनशील पदार्थों (बीड़ी, सिगरेट) का असावधानीपूर्ण उपयोग जिम्मेदार है।

भारत के राजस्थान प्रदेश में अकाल स्थायी त्रासदी है। राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य में मानसून सबसे अंत में प्रवेश करता है और सबसे पहले वापस चला जाता है। वर्ष की कमी और अनिश्चिमता के कारण राज्य में अधिकांशतः अकाल की स्थिति बनी रहती है। यही कारण है कि अकाल को राजस्थान का पर्याय कहा जाता है। यहां के निवासियों को किसी न किसी रूप में हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता है।

Keywords: बाढ़, भयंकर, सुखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, सूनामी, तुफान, घटनाएँ, प्राकृतिक मानवीय, पर्याय, दोहन, शोषण भूस्खलन, आपदाओं प्रबंधन, बेतहाशा।

सार विस्तार—

अर्थशास्त्री जनसंख्या संबंधी सिद्धान्त के प्रतिपादक मात्थस ने कहा था कि प्राकृतिक उत्पाद अंकगणितीय प्रणाली से 1,2,3,4,5.....की भाँति बढ़ती है किन्तु जनसंख्या बीजगणितीय प्रणाली अर्थात् 1,2,4,6,8की भाँति बढ़ती है। मात्थस के अनुसार एक समय तक तो जनसंख्या और प्राकृतिक उत्पाद की अपेक्षा काफी अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार मात्थस का कहना है कि अगर मनुष्य अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो प्रकृति स्वयं इसे संतुलित करने का कार्य करती है। यह कार्य प्राकृतिक आपदाएँ जैसे—भूकंप, चक्रवात, तुफान, भूस्खलन, महामारी, बाढ़, सूखा इत्यादि के माध्यम से होता है। प्राकृतिक आपदाओं की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं जो संयुक्त रूप से भी जिम्मेदार होते हैं। पृथ्वी की आन्तरिक एवं बाह्य शक्तियों के माध्यम से कुछ आपदाओं को सीधे प्रभावित करती है। जैसे—भूकम्प, ज्वालामुखी आदि। कुछ मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण विदेहन से प्रभावित होते हैं। जैसे— वनों का विनाश, जल संकट, भूमि का क्षरण।

प्रबंधन से आशय है, संकट से राहत पाने के लिए प्रत्येक स्तर पर जो जिम्मेदारी निर्धारित है। उसके माध्यम से समयबद्ध कर्तव्य का पालन किया जाना देश व समाज के चरित्र का परिचय प्राकृतिक आपदा के बाद मानव सेवा में उसके द्वारा किये गये कार्यों से मिलता है।

Correspondence:

मुकेश कुमार
राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर,
भारत

राजस्थान प्रदेश में आपदा प्रबंधन—

राजस्थान प्रदेश को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में आपदाओं का सामना करना पड़ता है। राजस्थान को अकाल का पर्याय भी कहा जाता है। राजस्थान प्रदेश में किसी वर्ष कुछ कम। 1842 व 1843 में पड़े विनाशकारी अकाल का नाम ही “सहसा मूदसा” रखा गया। 1899 में भी भयंकर अकाल पड़ा। यह विक्रम संवत् 1956 का वर्ष था इसलिए इसे छप्पनियाँ अकाल नाम दिया गया। जन व पशु धन की हानि व पलायन की अधिकता से इस कुख्यात अकाल को आज तक लोग भूले नहीं है वर्ष 2000-01 में धौलपुर को छोड़कर राज्य के समस्त जिले अकाल की चपेट में थे राजस्थान पिछले 100 वर्षों के सबसे भीषण काल की चपेट में आ गया था। इसे “मैक्रो ड्रॉट” यानि “वृहद् अकाल” की संज्ञा दी गई है। राजस्थान प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद वर्ष 1959-60, 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1990-91 व 1994-95 को छोड़कर अन्य वर्षों में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोवेश लगातार विद्यमान रही है राजस्थान प्रदेश की 75 प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों फसले खराब हो जाती है। 1962 में मेवाड़ क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। जिसके परिणामस्वरूप राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया, राजसमंद झील का कार्य देश का सर्वप्रथम अकाल राहत कार्य था। राजस्थान प्रदेश में जब अकाल भोजन, पानी और चारे कम संकट उत्पन्न करता है तब इसे त्रिकाल कहा जाता है।

राजस्थान प्रदेश में अकाल के कई कारण हैं— राज्य में अकाल का प्रमुख कारण वर्षा की अनिश्चितता व अपर्याप्तता है इसके साथ ही शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, वर्नों का अभाव, नित्यवाही नदियों की कमी, अनुपजाऊ भिट्ठी, थार का रेगिस्तान के रूप में प्राकृतिक कारण तथा परम्परागत रूप से कृषि आधारित कमज़ोर अर्थव्यवस्था, पशुपालन की पिछड़ी दशा, परम्परागत कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का ह्वास, अनुत्पादक जनसंख्या विस्फोट, सिंचाई के साधनों का अभाव आर्थिक कारण के रूप में है व वर्नों की अनियन्त्रित व अतार्किक कटाई, भू-जल का अंधाधुंध विदेहन, पारिस्थितिकी असंतुलन, समस्या के प्रति दूरगामी दृष्टिकोण के स्थान पर तात्कालिक राहत कार्यों पर अनावश्यक बल, जल योजनाओं का अपने लक्षित समय से पिछड़ना प्रशासनिक शिथिलताएँ एवं व्याप्त भ्रष्टाचार प्रमुख मानवीय एवं राजनीतिक कारण हैं।

राजस्थान प्रदेश में अकाल को कम करने हेतु सुझाव के रूप में वार्षिक योजना में नियमित प्रावधान की अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना व उपलब्ध जल संसाधनों का दीर्घ कालीन उचित प्रबंधन करना अभावग्रस्त गाँवों में प्रभावितों को रोजगार, पशुधन को उचित मूल्य पर चारा और पीने का पानी टैंकरों आदि से माकूल व्यवस्था एवं राहत कार्यों के अन्तर्गत अधुरे पड़े कार्यों को प्राथमिकता। महामारियों के फैलने को रोकने के लिए दवाईयों व संक्रमण राधकों, किटनाशकों की व्यवस्था करना प्रमुख है।

राजस्थान प्रदेश में अकाल से निपटने हेतु “आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग” की स्थापना की गई है। 31 अक्टूबर 2003 से सहायता विभाग का नाम बदलकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया है। राज्य में 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू कर दिया गया है।

राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण— आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की अनुपालन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 6 सितम्बर 2007 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राजस्थान प्रदेश में आपदाओं के प्रबंधन

एवं उनके बचाव के लिए 25.10.2007 राज्य आपदा प्रबंधन नीति लागू की गई है। अधिनियम के अनुच्छेद 48 में राज्य में दो कोष क्रमशः राज्य आपदा रेस्पोन्स फण्ड एवं राज्य आपदा मितिगेशन फण्ड का प्रावधान है। राज्य आपदा राहत कोष ;कर्तव्य इस कोष में केन्द्र व राज्य सरकार का अंशदान 3:1 है।

भारत में आपदा प्रबंधन—

पृथ्वी पर आने वाली समस्त प्राकृतिक आपदाओं में सर्वाधिक आक्सिमिक और विनाशकारी आपदा भूकंप को माना गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में पूरी दुनिया में आने वाले भूकंपों का मात्र 7 प्रतिशत ही आता है। किन्तु भारत में आने वाला भूकंप विनाशकारी अधिक होता है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिन्द महासागर एवं हिमालयी क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा पर हैं। भारत के भूकम्पीय क्षेत्रों को तीन प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। (1) हिमालयी भूकम्प क्षेत्र (2) सिन्धु-गंगा व कच्छ भूकम्पीय क्षेत्र (3) प्राय द्वीपीय भूकम्पीय क्षेत्र।

मिट्टी तथा चट्टानों का ढ़लान पर ऊपर से नीचे की ओर खिसकने, लुढ़कने तथा गिरने की प्रक्रिया को भू-स्खलन कहते हैं। भारत में भू-स्खलन हिमालयी क्षेत्र में अधिक होता है। इसके बाद पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत व जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अधिक होता है।

भारी वर्षा के चलते नदी जल ग्रहण क्षेत्र में प्रवाहित जल को पर्याप्त प्रवाह मार्ग उपलब्ध नहीं होने से अतिरिक्त वर्षा जल चारों ओर फैलने लगता है वह अतिरिक्त जल बनों एवं चारागहों में विनाष लीला का रूप ले लेता है। भारत में बाढ़ों से होने वाली 90 प्रतिशत से अधिक क्षति उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में होती है। भारत के उत्तर-पश्चिम में बहने वाली नदियां, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब व झेलम से बाद की भयंकरता कम होती है। जबकि पूर्व में बहने वाली गंगा, यमूना, गोमती, घाघरा, गंडक आदि नदियाँ अपेक्षाकृत अधिक बाढ़ लाती हैं। कोसी व दामोदर नदियों में बाढ़ महाविनाशकारी होती है। इसलिए कोसी नदी को “बिहार का शांक” व दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है।

किसी भू-भाग के सामान्यतः जितनी वर्षा होती है वहां-वहां वर्षा इतनी कम हो की फसलों का पर्याप्त उत्पादन न हो पाये साथ ही मानव व पशुओं के पीने हेतु जल उपलब्ध न हो तो वह क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। देश में 30 प्रतिशत क्षेत्र में सूखे का प्रभाव प्रति वर्ष पड़ता है तथा औसत 5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष सूखे से प्रभावित होते हैं। भारत के सिंचाई विभाग ने सूखा क्षेत्रों को दो भागों में बांटा है। प्रथम सामान्य से 25 प्रतिशत अधिक अनिश्चितता वाले भू-भाग इसमें पश्चिमी राजस्थान व पश्चिमी गुजरात को शामिल किया जाता है। द्वितीय सामान्य से 25 प्रतिशत तक अनिश्चितता वाले भू-भाग इसमें पूर्वी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य कर्नाटक, दक्षिणी आन्ध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिमी बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उडिसा को शामिल किया गया है। भारत में लगभग 77 ज़िलों को अकाल प्रवृत्त माना गया है।

समुन्द्री तुफान को भारत में चक्रवात भी कहते हैं। ये चक्रवात भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विचरण करते हैं। अतः इन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ये समुन्द्री क्षेत्र से उत्पन्न होकर अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से भारत में प्रवेश करते हैं। अपनी तेज गति व अधिक वर्षा के कारण ये तृतीय क्षेत्रों में जन-धन की हानि करते हैं। उत्तर-पश्चिमी भारत में शीतकाल में भी चक्रवाती तुफान आते हैं। इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इन्हें भारत में मावड कहा जाता है।

आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राजस्थान प्रदेश के प्रयास

(i) राजस्थान विशेष आवास योजना-

राज्य में होने वाली अतिवृष्टि बाढ़, आगजनी, भूकम्प आदि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के कारण राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित आवासों को भारी नुकसान होता रहता है। अतः इस संबंध में समस्त आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं आवास निर्माण एवं जीर्णद्वारा हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को अनुदान सहायता देने के लिए 'राजस्थान विशेष आवास योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अनुसार पूर्णतः ध्वस्त आवास के लिए 50 हजार रुपये व आंशिक ध्वस्त को 25 हजार रुपये एवं शौचालय निर्माण हेतु 5 हजार रुपये अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है।

(ii) आपदा प्रबंधन के क्रम में "GoI-UMDP-Disaster Risk Rescure" कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान प्रदेश को शामिल करवाया गया है। इस तीन वर्षीय कार्यक्रम (2009–10) का क्रियान्वयन राज्य स्तर के साथ ही राज्य के तीन जिलों जोधपुर, जैसलमेर, अलवर में उनके जिला आपदा प्राधिकरण के माध्यम से होगा।

(iii) फूट स्टैम्प योजना-

राज्य में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत नहीं हो इस हेतु 15 अगस्त 2004 से प्रारम्भ की गई योजना जिसके अनुसार सभी पंचायतों में 10 विंटल गेहूँ रखा जावेगा तथा सरपंच को 10–10 किलो के 100 फूट स्टैम्प प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(iv) सूखा सुरक्षा कवच योजना-

एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया ने "सूखा सुरक्षा कवच योजना" शुरू की है इसके तहत मानसुन की विफलता के कारण खेती की आमदनी को होने वाले नुकसान का बीमा किया जाता है।

(v) राजस्थान राहत कोष— अन्य आपदाओं के बचाव के लिए 2005–06 से शुरू किया गया।

(vi) राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आक्सिमिक निधि ;छब्ब्द- गम्भीर प्रकृति की आपदा के लिए शुरू की गई।

आपदा एवं प्रबंधन हेतु भारत सरकार के प्रयास

(i) केन्द्र सरकार द्वारा भूकम्प की आपदा के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण परियोजना की ;डम्प्डच्च की शुरूआत की गई है। इस परियोजना के उद्देश्योंके फलस्वरूप 5 वर्षों में 90 हजार रंजीनियरों 24 हजार वास्तुविदों, 2 लाख 25 हजार बिल्डिंग कांट्रैक्टर्स एवं इतनी ही संख्या में निर्माण सुपरवाइजरों तथा 4 लाख 50 हजार राजगीरों को प्रशिक्षित किया गया है। भूकम्प क्षेत्र 4 व 5 के सभी जिलों अस्पतालों का 'रेट्रोफिटिंग' इस परियोजना के अन्तर्गत किया गया है।

(ii) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान और समय रहते चेतावनी प्रणाली के बड़े हिस्से का पृथीवी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पुनर्गठन का काम शुरू किया गया है।

(iii) केन्द्रीय जल आयोग के साथ समय रहते चेतावनी प्रणाली की क्षमताओं के स्तर के उन्नयन का काम राष्ट्रीय बाढ़ न्यूनीकरण परियोजना के अन्तर्गत किया गया है।

(iv) सुनामी चेतावनी के लिए हैदराबाद के इण्डियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फ्रामैशन सर्विसेज ;छब्ब्द में सूनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना की जा चुकी है।

(v) देश में विश्व बैंक की सहायता से 2000 करोड़ रुपये की विशालकाय परियोजना राष्ट्रीय चक्रवात न्यूनीकरण परियोजना ;छब्ब्दच्च की शुरूआत की गई है।

;अपद्व केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चक्रवात आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना का भी प्रस्ताव है। यह संस्थान चक्रवात संबंधी सभी प्रकार के अनुसंधान एवं अध्ययन करेगा।

;अपपद्व राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की सहायता हेतु केन्द्र स्तर पर एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है।

;अपपद्व चक्रवात के जोखिम के बचाव हेतु मैग्रोव वृक्षों का विकास बांधों का निर्माण व आवासीय पट्टी का निर्माण किया जा रहा है।

;पगद्व भारत सरकार आपदाओं के बाद राहत कार्यों तथा पुनर्वास पर सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत व्यय करती है।

;गद्व प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के तहत भारतीय मेटिमोरोलॉजिकल विभाग ने देश भर में 4 हजार से अधिक वर्षामापी स्टेशनों द्वारा वर्षा की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है।

;गद्व भारत में राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब राज्यों के 2 लाख वर्ग किमी क्षेत्र टिड्डियों से प्रभावित रहता है। दूर संवेदन तकनीकी द्वारा विकसित की गई चेतावनी प्रणाली द्वारा इस आपदा पर नियन्त्रण पाया जा रहा है।

निष्कर्ष—

उपर्युक्त विवेचनात्मक विश्लेषण के बाद यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक ठोस कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के साथ इस क्षेत्र में अब और भी प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा अब रखी जा सकती है भोपाल स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने आपदा प्रबंधन पर बहुत पहले ही पाठ्यक्रम शुरू कर दिया था सूनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना कर भारत ने एक बड़ी उपलब्धी पायी है। इसका लाभ राजस्थान प्रदेश सहित भारत क्षेत्र सहित तटवर्ती देशों को मिल रहा है। किन्तु आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राजस्थान प्रदेश एवं केन्द्र द्वारा इन प्रयासों को ही इति समझ लेना समझदारी नहीं है। राजस्थान प्रदेश सहित केन्द्र सरकार को आगे प्रयास करते रहना होगा।

संदर्भ सूची:-

1. जैन डॉ. हुकुम चन्द एवं माली डॉ. नारायण लाल सैनी "राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य परम्परा एवं विरासत," राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर, पृ. 142–143
2. दुण्डक डॉ. सी.एन. "राजस्थान में आपदा एवं प्रबंधन" नन्दलाल प्रकाशन, जयपुर 2012, पृ. 82–83
3. परीक्षा मंथन, जून 2000, पृ. 139–143
4. प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2006
5. अभिव्यक्ति पक्षिक पत्रिका
6. क्रोनिकल मासिक पत्रिका 2014
7. दृष्टिकोण मंथन 2019, पृ. 21–22